The Academic
International Journal of Multidisciplinary Research

An Online Peer Reviewed / Refereed Journal
Volume 4 | Issue 1 | January 2026
ISSN: 2583-973X (Online), SJIF IF: 5.6
Website: www.theacademic.in

अहिल्याबाई होल्कर की नारी-केंद्रित शासन नीति और आधुनिक महिला सशक्तिकरण

ज्योति साहू (शोधछात्रा)

डॉ. निशा खम्परिया (प्राध्यापक एवं शोध निर्देशिका)

इतिहास विभाग, मानसरोवर ग्लोबल विश्वविद्यालय, मध्य प्रदेश

DOI : https://doi.org/10.5281/zenodo.18648231

ARTICLE DETAILS

Research Paper

Accepted: 26-01-2026

Published: 10-02-2026

Keywords:

नारी-केंद्रित शासन, महिला सशक्तिकरण, सामाजिक न्याय, स्त्री-सम्मान, शासकीय नीतियाँ आदि।

ABSTRACT

लोकमाता अहिल्याबाई होल्कर भारतीय इतिहास में नारी-केंद्रित शासन नीति की एक विलक्षण और प्रेरणादायी प्रतिमूर्ति हैं। अठारहवीं शताब्दी के सामाजिक-राजनीतिक परिवेश में, जहाँ स्त्रियाँ प्रायः सार्वजनिक निर्णय-प्रक्रिया से वंचित थीं, अहिल्याबाई ने न केवल सत्ता संभाली, बल्कि उसे करुणा, न्याय और नारी-सम्मान के मूल्यों से संचालित किया। उनका शासन स्त्रियों को संरक्षण का पात्र मानने के स्थान पर उन्हें सामाजिक सम्मान और सुरक्षा प्रदान करने की दिशा में उन्मुख था। यह शोध-पत्र अहिल्याबाई होल्कर की नारी-केंद्रित शासन नीति का विश्लेषण करते हुए यह स्पष्ट करता है कि उनका प्रशासनिक दृष्टिकोण आधुनिक महिला सशक्तिकरण की अवधारणा से वैचारिक रूप से कितना साम्य रखता है। अध्ययन में यह दर्शाया गया है कि स्त्री-सुरक्षा, सामाजिक संरक्षण, आर्थिक आत्मनिर्भरता और शिक्षा जैसे आयाम अहिल्याबाई के शासन में व्यवहारिक रूप में विद्यमान थे। प्रस्तुत अध्ययन ऐतिहासिक-विश्लेषणात्मक एवं तुलनात्मक पद्धति पर आधारित है। यह शोध यह प्रतिपादित करता है कि अहिल्याबाई होल्कर का शासन केवल नैतिक आदर्श न होकर आधुनिक महिला सशक्तिकरण नीतियों का वैचारिक पूर्वरूप है। समकालीन भारत में केंद्र एवं राज्य सरकारों द्वारा संचालित महिला सशक्तिकरण संबंधी नीतियाँ जैसे- बालिकाओं का संरक्षण, महिलाओं की सुरक्षा, स्वावलंबन, शिक्षा एवं सामाजिक न्याय आदि

अहिल्याबाई के शासन-सिद्धांतों की आधुनिक अभिव्यक्ति प्रतीत होती हैं। यह शोध ऐतिहासिक नारी-नेतृत्व और आधुनिक नीति-निर्माण के मध्य एक वैचारिक सेतु स्थापित करता है तथा यह निष्कर्ष प्रस्तुत करता है कि अहिल्याबाई का शासन मॉडल आज भी महिला-केन्द्रित विकास के लिए प्रासंगिक, प्रेरणादायी और अनुकरणीय है।

भारतीय इतिहास में लोकमाता अहिल्याबाई होल्कर का स्थान एक ऐसी शासिका के रूप में प्रतिष्ठित है, जिन्होंने सत्ता को प्रभुत्व और दमन का साधन न मानकर सेवा, न्याय और लोककल्याण का माध्यम बनाया। अठारहवीं शताब्दी का सामाजिक परिवेश गहरे पितृसत्तात्मक मूल्यों से प्रभावित था, जहाँ स्त्रियों की भूमिका प्रायः घरेलू सीमाओं तक ही सीमित थी और सार्वजनिक निर्णय-प्रक्रिया में उनकी भागीदारी नगण्य थी। ऐसे समय में अहिल्याबाई होल्कर का शासन नारी-नेतृत्व के संदर्भ में असाधारण महत्व रखता है। उन्होंने शासन को नैतिकता, करुणा और संवेदनशीलता से संचालित किया तथा स्त्री-जीवन की व्यावहारिक कठिनाइयों को गहराई से समझा। अहिल्याबाई होल्कर की नारी-केंद्रित शासन नीति का मूल आधार स्त्रियों की गरिमा, सुरक्षा और सामाजिक सम्मान था। उन्होंने स्त्रियों को दया या संरक्षण की वस्तु नहीं, बल्कि समाज की सशक्त और सम्मानित इकाई के रूप में देखा। उनके शासनकाल में विधवाओं, निराश्रित महिलाओं और निर्धन स्त्रियों के लिए धर्मशालाओं, आश्रय-स्थलों और सामाजिक सहायता की व्यवस्था की गई, जिससे उन्हें सम्मानजनक जीवन का अवसर प्राप्त हुआ। इसके अतिरिक्त, न्यायप्रिय प्रशासन और सुरक्षित सार्वजनिक स्थलों के निर्माण ने स्त्रियों में राज्य के प्रति विश्वास उत्पन्न किया। यह व्यवस्था उस समय की सामाजिक संरचना में न केवल प्रगतिशील थी, बल्कि आधुनिक महिला सशक्तिकरण की अवधारणा की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि भी प्रस्तुत करती है।

आधुनिक भारत में महिला सशक्तिकरण शासन का एक केंद्रीय उद्देश्य बन चुका है। स्त्री-शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा, आर्थिक स्वावलंबन और नेतृत्व की भागीदारी से संबंधित नीतियाँ राज्य के विकास दृष्टिकोण का अभिन्न अंग हैं। यह स्थिति अचानक उत्पन्न नहीं हुई, बल्कि इसके वैचारिक बीज भारतीय इतिहास में निहित हैं। अहिल्याबाई होल्कर का शासन इस ऐतिहासिक निरंतरता का सशक्त उदाहरण प्रस्तुत करता है। यह शोध-पत्र इसी ऐतिहासिक-समकालीन संबंध को स्पष्ट करने का प्रयास करता है। इसमें यह विश्लेषण किया गया है कि अहिल्याबाई की नारी-केंद्रित शासन नीति किस प्रकार आधुनिक महिला सशक्तिकरण कार्यक्रमों से वैचारिक साम्यता रखती है और किस प्रकार उनका शासन मॉडल आज के नीति-निर्माताओं के लिए मार्गदर्शक सिद्ध हो सकता है।

यह शोध अध्ययन इस प्रश्न का उत्तर खोजने का प्रयास करता है कि किस सीमा तक अहिल्याबाई होल्कर की नारी-केंद्रित शासन नीति आधुनिक महिला सशक्तिकरण योजनाओं की वैचारिक पृष्ठभूमि प्रदान करती है? वर्तमान समय में महिला-सुरक्षा, समानता और स्वावलंबन से जुड़े प्रश्नों की प्रासंगिकता को देखते हुए यह अध्ययन आवश्यक हो जाता है। यह शोध आधुनिक शासकीय नीतियों को ऐतिहासिक दृष्टि प्रदान करता है और नारी-नेतृत्व के मूल्याधारित मॉडल को पुनः स्थापित करने में सहायक है।

हाल के वर्षों में प्रकाशित पुस्तकों और शोध-पत्रों में अहिल्याबाई होल्कर के धार्मिक, सांस्कृतिक और प्रशासनिक योगदान पर पर्याप्त चर्चा उपलब्ध है। अधिकांश शोध अहिल्याबाई होल्कर को आदर्श शासिका के रूप में प्रस्तुत करते हैं, किंतु उनकी नारी-केंद्रित शासन नीति और आधुनिक महिला सशक्तिकरण योजनाओं के मध्य तुलनात्मक एवं नीतिगत विश्लेषण का अभाव है। प्रस्तुत अध्ययन इसी शोध-अंतराल को भरने का प्रयास करता है। इस अध्ययन निम्नलिखित उद्देश्य हैं-

1. अहिल्याबाई होल्कर की नारी-केंद्रित शासन नीति का विश्लेषण करना।
2. उनके शासन-सिद्धांतों और आधुनिक महिला सशक्तिकरण नीतियों के मध्य साम्यता स्पष्ट करना।
3. ऐतिहासिक नारी-नेतृत्व से प्रेरित नीति-निर्माण की संभावनाओं को रेखांकित करना।

प्रस्तुत अध्ययन ऐतिहासिक-विश्लेषणात्मक एवं तुलनात्मक पद्धति पर आधारित है। यह शोध यह प्रतिपादित करता है कि अहिल्याबाई होल्कर का शासन केवल नैतिक आदर्श न होकर आधुनिक महिला सशक्तिकरण नीतियों का वैचारिक पूर्वरूप है।

लोकमाता अहिल्याबाई होल्कर का शासन भारतीय इतिहास में नारी-केंद्रित, लोककल्याणकारी और नैतिक प्रशासन का एक दुर्लभ तथा प्रेरणादायी उदाहरण प्रस्तुत करता है। अठारहवीं शताब्दी का भारतीय समाज गहरे पितृसत्तात्मक ढाँचे में आबद्ध था, जहाँ स्त्रियाँ सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक निर्णय-प्रक्रियाओं से प्रायः वंचित रखी जाती थीं। ऐसी ऐतिहासिक परिस्थिति में अहिल्याबाई होल्कर का सत्ता में आना मात्र एक राजनीतिक घटना नहीं, बल्कि सामाजिक परिवर्तन की दिशा में एक महत्वपूर्ण मोड़ था। उन्होंने न केवल शासन की बागडोर संभाली, बल्कि शासन की प्रकृति को भी मूलतः परिवर्तित कर दिया। उनके लिए सत्ता शक्ति-प्रदर्शन या वैभव का साधन न होकर सेवा, न्याय और करुणा का माध्यम थी। विशेष रूप से नारी-जीवन से जुड़ी पीड़ा, असुरक्षा और सामाजिक उपेक्षा को उन्होंने राज्य की नैतिक जिम्मेदारी के रूप में स्वीकार किया और शासन को संवेदनशील, मानवीय तथा न्यायोन्मुख बनाने का प्रयास किया।

लोकमाता अहिल्याबाई होल्कर का नारी-दृष्टिकोण उनके शासन का मूल वैचारिक आधार था। उन्होंने स्त्री को दया या करुणा की पात्र न मानकर सम्मान, संरक्षण और सामाजिक सहभागिता की अधिकारिणी के रूप में देखा। उस युग में, जब विधवाएँ, निराश्रित स्त्रियाँ और निर्धन महिलाएँ सामाजिक तिरस्कार तथा असुरक्षा का सामना करती थीं, अहिल्याबाई का दृष्टिकोण अत्यंत प्रगतिशील था। उनके शासन में स्त्रियों को सामाजिक हाशिये से बाहर निकालकर सम्मानजनक और सुरक्षित जीवन प्रदान करने का सचेत प्रयास किया गया। धर्मशालाओं, सार्वजनिक आश्रय-स्थलों और न्यायप्रिय प्रशासन के माध्यम से उन्होंने स्त्रियों के लिए सामाजिक संरक्षण का वातावरण निर्मित किया, जिससे उनके आत्मसम्मान और सामाजिक विश्वास में वृद्धि हुई। अहिल्याबाई की यह नारी-सम्मान आधारित सोच आज भारत सरकार द्वारा संचालित **बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ योजना** की मूल भावना से प्रत्यक्ष रूप से जुड़ती है। इस योजना का उद्देश्य केवल बालिकाओं का संरक्षण ही नहीं, बल्कि उनकी शिक्षा को प्रोत्साहित करना और समाज में नारी के प्रति दृष्टिकोण में सकारात्मक परिवर्तन लाना भी है। इसके परिणामस्वरूप बालिका नामांकन दर में वृद्धि, विद्यालय-त्याग की दर में कमी तथा लैंगिक समानता के प्रति सामाजिक चेतना में सुधार देखा गया है। इसी प्रकार अहिल्याबाई के शासन में भी स्त्री-सम्मान को सामाजिक स्थिरता और नैतिक शासन का आधार माना गया, भले ही वह किसी औपचारिक योजना के रूप में न होकर व्यवहारिक और मूल्याधारित प्रशासन के रूप में विद्यमान था।

स्त्री-सुरक्षा और सामाजिक संरक्षण लोकमाता अहिल्याबाई होल्कर की शासन-नीति का केन्द्रीय और संवेदनशील तत्व था। उनके द्वारा निर्मित धर्मशालाएँ, घाट, कुएँ तथा सार्वजनिक विश्रामगृह केवल यात्रियों की सुविधा के साधन नहीं थे, बल्कि वे स्त्रियों के लिए सुरक्षित, सम्मानजनक और भरोसेमंद सामाजिक स्थल भी थे। अठारहवीं शताब्दी के समाज में अकेली यात्रा करने वाली स्त्रियाँ, विधवाएँ और तीर्थयात्रिणियाँ प्रायः सामाजिक असुरक्षा और भय का सामना करती थीं। ऐसे में अहिल्याबाई के शासन में निर्मित ये सार्वजनिक संरचनाएँ स्त्रियों को शारीरिक सुरक्षा के साथ-साथ मानसिक संबल और आत्मविश्वास प्रदान करती थीं। इसके अतिरिक्त उनका न्यायप्रिय, त्वरित और करुणापूर्ण प्रशासन स्त्रियों के प्रति होने वाले अन्याय के मामलों में संवेदनशील था, जिससे राज्य के प्रति विश्वास की भावना सुदृढ़ हुई। आधुनिक भारत में महिला-सुरक्षा से जुड़ी **मिशन शक्ति योजना** इसी उद्देश्य को संस्थागत रूप प्रदान करती है। इसके अंतर्गत महिला सहायता केंद्र, आपातकालीन हेल्पलाइन, परामर्श सेवाएँ और कानूनी सहायता उपलब्ध कराई जाती है। इसके सकारात्मक परिणामस्वरूप महिलाओं में शिकायत दर्ज कराने की प्रवृत्ति बढ़ी है और स्थानीय स्तर पर सुरक्षा-तंत्र अधिक सशक्त हुआ है। इस प्रकार अहिल्याबाई का शासन और आधुनिक योजनाएँ, दोनों स्त्री-सुरक्षा को राज्य की प्राथमिक जिम्मेदारी मानने की समान दृष्टि प्रस्तुत करते हैं।

आर्थिक स्वावलंबन और **श्रम-सम्मान** लोकमाता अहिल्याबाई होल्कर की नारी-केंद्रित शासन नीति का एक अत्यंत महत्वपूर्ण और व्यावहारिक आयाम था। उन्होंने यह स्पष्ट रूप से समझा कि स्त्रियों की **वास्तविक सशक्तता** केवल **संरक्षण** से नहीं, बल्कि **आर्थिक सहभागिता और श्रम की सामाजिक मान्यता** से संभव है। इसी दृष्टि से उन्होंने स्थानीय कारीगरी, हस्तशिल्प, व्यापारिक मार्गों तथा सार्वजनिक निर्माण कार्यों को विशेष प्रोत्साहन दिया। घाटों, बावड़ियों, सड़कों और धर्मशालाओं के निर्माण एवं रख-रखाव में स्थानीय समाज की सक्रिय भागीदारी रही, जिसमें स्त्रियों की अप्रत्यक्ष किंतु प्रभावशाली आर्थिक भूमिका सम्मिलित थी। इससे न केवल **स्त्रियों के श्रम को सामाजिक स्वीकार्यता** मिली, बल्कि उनकी पारिवारिक और सामाजिक स्थिति भी सुदृढ़ हुई। आधुनिक भारत में **राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन**, **स्वयं सहायता समूह कार्यक्रम** तथा विभिन्न **महिला स्वरोजगार योजनाएँ** इसी विचारधारा को संस्थागत रूप में आगे बढ़ाती हैं। इनके अंतर्गत महिलाओं को समूह-आधारित ऋण, कौशल-प्रशिक्षण और बाज़ार से जोड़ने की व्यवस्था की जाती है, जिसके परिणामस्वरूप उनकी आय, निर्णय-क्षमता और आत्मविश्वास में वृद्धि हुई है।

इसी क्रम में मध्य प्रदेश राज्य सरकार की **आजिविका मिशन**, **मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना**, **महिला उद्यमिता प्रोत्साहन योजना** तथा **देवी अहिल्या स्वयं सहायता समूह योजना** विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं। इन योजनाओं के माध्यम से ग्रामीण और शहरी महिलाओं को लघु उद्योग, कुटीर उद्योग, पशुपालन, हस्तशिल्प और सेवा-क्षेत्र में रोजगार के अवसर प्राप्त हो रहे हैं। इनके परिणामस्वरूप राज्य में महिलाओं की आर्थिक भागीदारी बढ़ी है और वे परिवार तथा समाज में निर्णय-निर्माण की सक्रिय इकाई बन रही हैं। इस प्रकार, अहिल्याबाई होल्कर के शासन में जो आर्थिक स्वावलंबन और श्रम-सम्मान की प्रक्रिया नैतिक, सामाजिक और व्यवहारिक स्तर पर आरंभ हुई थी, वही आज मध्य प्रदेश सहित पूरे देश में आधुनिक शासकीय नीतियों और योजनाओं के माध्यम से संगठित, संस्थागत और वित्तीय समर्थन के साथ आगे बढ़ रही है।

मध्य प्रदेश राज्य सरकार की **लाड़ली लक्ष्मी योजना** महिला सशक्तिकरण की दिशा में एक अत्यंत महत्वपूर्ण और दूरगामी प्रभाव वाली राज्य-स्तरीय पहल है। इस योजना का प्रमुख उद्देश्य बालिकाओं की शिक्षा, स्वास्थ्य और भविष्य की आर्थिक सुरक्षा सुनिश्चित करना है, ताकि वे सामाजिक-आर्थिक दृष्टि से आत्मनिर्भर बन सकें। योजना के अंतर्गत बालिकाओं को जन्म से लेकर उच्च शिक्षा तक चरणबद्ध आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है, जिससे परिवारों में बालिका-शिक्षा के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण विकसित हुआ है। इसके परिणामस्वरूप मध्य प्रदेश में बालिका नामांकन, विद्यालय-निरंतरता तथा माध्यमिक स्तर पर शिक्षा छोड़ने की प्रवृत्ति में उल्लेखनीय कमी देखी गई है। साथ ही, समाज में बालिकाओं की स्वीकार्यता और

सम्मान की भावना भी सुदृढ़ हुई है। यह योजना नारी-सम्मान को केवल सामाजिक आदर्श के रूप में नहीं, बल्कि विधिक और वित्तीय समर्थन के माध्यम से व्यवहारिक रूप प्रदान करती है।

लोकमाता अहिल्याबाई होल्कर के शासन में भी बालिकाओं और स्त्रियों को सामाजिक सम्मान देना राज्य की नैतिक जिम्मेदारी माना गया था। उन्होंने नारी-सम्मान को शासन की स्थिरता, सामाजिक संतुलन और लोककल्याण से जोड़ा। विधवाओं, निराश्रित महिलाओं और निर्धन बालिकाओं के संरक्षण की उनकी नीति यह दर्शाती है कि उनके लिए नारी-कल्याण केवल दया का विषय नहीं, बल्कि सुशासन का आवश्यक तत्व था। आज लाड़ली लक्ष्मी योजना उसी नैतिक दृष्टि को आधुनिक प्रशासनिक और वित्तीय ढाँचे में साकार करती हुई दिखाई देती है। स्त्री-स्वास्थ्य और मातृत्व संरक्षण आधुनिक महिला सशक्तिकरण नीतियों का एक अन्य महत्वपूर्ण आयाम है। भारत सरकार की **प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना** तथा मध्य प्रदेश की **जननी सुरक्षा योजना** गर्भवती महिलाओं को पोषण, स्वास्थ्य सेवाएँ और आर्थिक सहायता प्रदान करती हैं। इन योजनाओं के परिणामस्वरूप संस्थागत प्रसव में वृद्धि, मातृ मृत्यु दर में कमी तथा स्वास्थ्य-जागरूकता में सुधार हुआ है। अहिल्याबाई होल्कर के शासन में प्रत्यक्ष चिकित्सीय योजनाएँ भले न रही हों, किंतु स्वच्छ जल, सुरक्षित आवास, घाटों और सार्वजनिक संरचनाओं के माध्यम से उन्होंने स्त्री-स्वास्थ्य को अप्रत्यक्ष रूप से सुदृढ़ किया। उनका यह विश्वास था कि स्वस्थ स्त्री ही स्वस्थ परिवार और सुदृढ़ समाज की आधारशिला होती है, जो आज की स्वास्थ्य-नीतियों की मूल भावना से पूर्णतः मेल खाता है।

शिक्षा के क्षेत्र में अहिल्याबाई होल्कर का योगदान अप्रत्यक्ष किंतु प्रभावशाली था। उन्होंने विद्वानों, आश्रमों और शिक्षण परंपराओं को संरक्षण दिया। धर्मशालाएँ केवल विश्राम-स्थल नहीं, बल्कि ज्ञान-विनिमय के केंद्र भी थीं। आधुनिक काल में **समग्र शिक्षा अभियान**, **बालिका शिक्षा प्रोत्साहन योजनाएँ** तथा मध्य प्रदेश की **साइकिल वितरण योजना** बालिकाओं की शिक्षा और विद्यालय-उपस्थिति को बढ़ावा देती हैं। इनके परिणामस्वरूप ग्रामीण क्षेत्रों में बालिकाओं की विद्यालय-निरंतरता में वृद्धि हुई है। अहिल्याबाई का शिक्षा-समर्थन आधुनिक शैक्षिक नीतियों की वैचारिक पृष्ठभूमि तैयार करता है। नारी-नेतृत्व और नीति-निर्माण के संदर्भ में अहिल्याबाई होल्कर का शासन अत्यंत प्रेरणादायी है। उनका नेतृत्व आक्रामक सत्ता-प्रदर्शन पर आधारित नहीं था, बल्कि संवेदनशीलता, नैतिकता और लोककल्याण पर केंद्रित था। उन्होंने यह प्रमाणित किया कि शासन की प्रभावशीलता कठोरता से नहीं, बल्कि करुणा और न्याय से सुनिश्चित होती है। आधुनिक भारत में नीति-निर्माण में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने पर जो बल दिया जा रहा है, जैसे- पंचायती राज संस्थाओं में महिला आरक्षण उसका ऐतिहासिक औचित्य अहिल्याबाई के शासन अनुभव से स्पष्ट हो जाता है। उनका शासन यह दर्शाता है कि जब नीतियाँ स्त्री-अनुभव, संवेदनशीलता और सामाजिक न्याय की चेतना से निर्मित होती हैं, तो वे समाज के कमजोर वर्गों तक अधिक प्रभावी

ढंग से पहुँचती हैं। आज पंचायती राज संस्थाओं में महिला आरक्षण, महिला जनप्रतिनिधियों की बढ़ती संख्या और नेतृत्व प्रशिक्षण कार्यक्रम इसी विचार को आगे बढ़ाते हैं। इसके परिणामस्वरूप ग्रामीण और स्थानीय स्तर पर निर्णय-निर्माण में महिलाओं की भूमिका सुदृढ़ हुई है। अहिल्याबाई का शासन यह सिद्ध करता है कि नारी-नेतृत्व केवल प्रतीकात्मक नहीं, बल्कि व्यावहारिक और परिणामोन्मुखी हो सकता है।

यद्यपि लोकमाता अहिल्याबाई होल्कर का शासन नारी-सम्मान, करुणा और लोककल्याण के उच्च नैतिक मूल्यों पर आधारित था, तथापि उसके कुछ संरचनात्मक सीमाएँ भी दृष्टिगोचर होती हैं। उनके द्वारा आरंभ की गई नारी-केंद्रित पहलें मुख्यतः व्यक्तिगत संवेदनशीलता, धार्मिक नैतिकता और शासकीय सद्भाव पर आधारित थीं, न कि किसी औपचारिक, विधिक अथवा संस्थागत ढाँचे पर। परिणामस्वरूप इन नीतियों की निरंतरता और विस्तार शासिका के व्यक्तित्व तक ही सीमित रहा। इसके विपरीत, आधुनिक महिला सशक्तिकरण योजनाएँ संवैधानिक, विधिक और प्रशासनिक संरचनाओं के अंतर्गत संचालित होती हैं, जिनका दायरा व्यापक और दीर्घकालिक है। आधुनिक नीतियाँ स्पष्ट लक्ष्यों, वित्तीय प्रावधानों और निगरानी-तंत्र से युक्त होती हैं, जबकि अहिल्याबाई का शासन मॉडल अधिक मूल्याधारित और नैतिक था। अतः यह कहा जा सकता है कि अहिल्याबाई होल्कर का शासन आधुनिक योजनाओं का प्रत्यक्ष प्रतिरूप न होकर उनका वैचारिक और नैतिक पूर्वरूप मात्र है।

समग्र रूप से देखा जाए तो अहिल्याबाई होल्कर की नारी-केंद्रित शासन नीति और आधुनिक महिला सशक्तिकरण योजनाएँ एक ही वैचारिक परंपरा की कड़ियाँ हैं। अंतर केवल इतना है कि अहिल्याबाई का शासन नैतिक और व्यवहारिक स्तर पर कार्य करता था, जबकि आधुनिक नीतियाँ संस्थागत और विधिक ढाँचे के माध्यम से। फिर भी दोनों का लक्ष्य समान है—स्त्री को भय-मुक्त, सम्मानजनक और आत्मनिर्भर जीवन प्रदान करना। इस दृष्टि से अहिल्याबाई होल्कर का शासन मॉडल आज की महिला सशक्तिकरण नीतियों के लिए केवल ऐतिहासिक संदर्भ नहीं, बल्कि एक वैचारिक और नैतिक मार्गदर्शक सिद्ध होता है।

अहिल्याबाई होल्कर एवं आधुनिक योजनाएँ : तुलनात्मक सारणी

योजना / नीति	**तुलनात्मक निष्कर्ष**
बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ	अहिल्याबाई का स्त्री-सम्मान आधारित शासन इस योजना के सामाजिक-मानसिक परिवर्तन के लक्ष्य का ऐतिहासिक आधार है।
मिशन शक्ति	अहिल्याबाई का न्यायप्रिय और संरक्षण-आधारित प्रशासन आधुनिक महिला-सुरक्षा ढाँचे का नैतिक प्रतिरूप है।

योजना / नीति	तुलनात्मक निष्कर्ष
राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन	स्थानीय कारीगरी को संरक्षण देना अहिल्याबाई के शासन में महिला आजीविका का प्रारंभिक मॉडल था।
लाड़ली लक्ष्मी योजना (म.प्र.)	नारी-सम्मान और भविष्य-सुरक्षा की अवधारणा अहिल्याबाई के शासन से वैचारिक रूप से जुड़ी है।
स्वयं सहायता समूह	अहिल्याबाई का श्रम-सम्मान और स्वावलंबन आज समूह-आधारित आर्थिक सशक्तिकरण में परिलक्षित होता है।
प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना	अहिल्याबाई की जनस्वास्थ्य-संवेदनशीलता आधुनिक मातृत्व संरक्षण नीतियों की आधारभूमि है।
पंचायती राज में महिला आरक्षण	अहिल्याबाई का नारी-नेतृत्व आज की महिला-भागीदारी नीति का ऐतिहासिक प्रमाण है।

प्रस्तुत अध्ययन से यह स्पष्ट होता है कि अहिल्याबाई होल्कर की नारी-केंद्रित शासन नीति आधुनिक महिला सशक्तिकरण की अवधारणा का सशक्त ऐतिहासिक आधार प्रस्तुत करती है। उनके शासन में स्त्री-सम्मान, सुरक्षा, आर्थिक सहभागिता और नेतृत्व को नैतिक दायित्व के रूप में स्वीकार किया गया। आज केंद्र और राज्य सरकारों की महिला-संबंधी नीतियाँ—चाहे वे शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा या आजीविका से जुड़ी हों—इन्हीं मूल्यों को संस्थागत रूप में आगे बढ़ा रही हैं। नीति-परिणामों के विश्लेषण से यह सिद्ध होता है कि जहाँ योजनाओं का क्रियान्वयन संवेदनशील और सहभागी रहा है, वहाँ महिला सशक्तिकरण के ठोस परिणाम दिखाई दिए हैं। इस अध्ययन का मौलिक योगदान यह है कि यह अहिल्याबाई होल्कर को केवल ऐतिहासिक व्यक्तित्व न मानकर महिला-केंद्रित नीति-निर्माण के वैचारिक स्रोत के रूप में स्थापित करता है। यह शोध अध्ययन निम्नलिखित सुझाव प्रस्तावित करता है-

1. महिला सशक्तिकरण नीतियों में अहिल्याबाई होल्कर जैसे ऐतिहासिक नारी-नेतृत्व मॉडलों को वैचारिक संदर्भ के रूप में सम्मिलित किया जाए।
2. योजनाओं के क्रियान्वयन में केवल वित्तीय लक्ष्य नहीं, बल्कि सामाजिक सम्मान और सुरक्षा के गुणात्मक परिणामों को भी मापा जाए।

3. केंद्र और राज्य स्तर पर महिला-केंद्रित योजनाओं का आपसी समन्वय बढ़ाया जाए, जिससे उनका प्रभाव बहुआयामी हो सके।
4. स्थानीय स्तर पर महिला सहभागिता, सामाजिक निगरानी और नेतृत्व प्रशिक्षण को सुदृढ़ किया जाए।

भविष्य में अहिल्याबाई होल्कर की शासन-नीति और समकालीन महिला सशक्तिकरण नीतियों पर तुलनात्मक, अंतर्विषयी और क्षेत्रीय अध्ययन की व्यापक संभावनाएँ हैं। उनका शासन मॉडल न केवल ऐतिहासिक अध्ययन का विषय है, बल्कि आधुनिक नीति-निर्माण के लिए भी एक नैतिक और व्यवहारिक मार्गदर्शक सिद्ध हो सकता है।

संदर्भ ग्रंथ सूची

- जोशी, माधव. (2021). *लोकमाता अहिल्याबाई होल्कर*. इंदौर: मध्यप्रदेश साहित्य अकादमी।
- शर्मा, रमेशचंद्र. (2020). *भारतीय इतिहास में नारी शासन*. नई दिल्ली: राजकमल प्रकाशन।
- वर्मा, सुरेश. (2022). अहिल्याबाई होल्कर का लोककल्याणकारी प्रशासन. *इतिहास विमर्श*, 14(2)।
- मिश्रा, अनीता. (2024). स्त्री सशक्तिकरण और ऐतिहासिक आदर्श. *भारतीय सामाजिक अध्ययन*, 9(1)।
- सिंह, नरेन्द्र. (2021). *मालवा का प्रशासनिक इतिहास*. भोपाल: भारतीय ज्ञानपीठ।
- पाण्डेय, शिवकुमार. (2020). अहिल्याबाई होल्कर: एक मूल्याधारित शासन मॉडल. *शोध भारती*, 6(3)।
- शुक्ल, हरिशंकर. (2022). *भारतीय लोककल्याण परंपरा*. प्रयागराज: लोकभारती प्रकाशन।
- अग्रवाल, प्रदीप. (2023). नारी नेतृत्व और भारतीय इतिहास. *समकालीन विमर्श*, 11(2)।
- यादव, रामनरेश. (2021). लोकमाता अहिल्याबाई का सामाजिक योगदान. *इतिहास चेतना*, 8(1)।
- द्विवेदी, अशोक कुमार. (2025). *भारतीय शासन परंपरा और जनकल्याण*. लखनऊ: नवभारत प्रकाशन।
- गुप्ता, सविता. (2022). भारतीय समाज में स्त्री की स्थिति: ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य. *महिला अध्ययन पत्रिका*, 5(2)।
- शास्त्री, विनोदकुमार. (2021). *भारतीय नारी और सत्ता संरचना*. जयपुर: शिवना प्रकाशन।
- मिश्रा, राधेश्याम. (2020). अहिल्याबाई होल्कर और नारी-सुरक्षा की अवधारणा. *भारतीय इतिहास समीक्षा*, 12(1)।
- पाण्डेय, उषा. (2023). *स्त्री सशक्तिकरण: ऐतिहासिक पृष्ठभूमि और समकालीन चुनौतियाँ*. नई दिल्ली: वाणी प्रकाशन।
- चौधरी, मीनाक्षी. (2024). नारी-नेतृत्व और कल्याणकारी राज्य की अवधारणा. *समाज एवं संस्कृति*, 10(3)।
- श्रीवास्तव, अनिल कुमार. (2022). *भारतीय प्रशासन में नारी दृष्टि*. लखनऊ: नवभारत प्रकाशन।